संख्या 593 /XII/2013/82(07)/2010

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायती राज अनुभाग — देहरादून — दिनांक 20 ~~मार्च~~, 2013

विषयः— त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों तथा महिला प्रतिनिधियों प्रशिक्षण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्रिस्तरीय पंचायतों में चालू वित्तीय वर्ष 2012—2013 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम—आयोजनागत —101—पंचायती राज—09—त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु—42—अन्य व्यय संलग्न अलोटमेंट आई0डी0—S1207191066 हेतु रू. 20.00 लाख (रू. बीस लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या—19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यकम—आयोजनागत—101—पंचायती राज—13—त्रिस्तरीय पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु 42—अन्य व्यय संलग्न अलोटमेंट आई0डी0—S1207191067 रू. 20.00 लाख (रू. बीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू. 40.00 लाख (रू. चालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त. धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार फान्ट अपने स्तर से किया जाय ।

3. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय—समय पर जारी/ जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय ।

4. धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र—बी0एम0—13 पर प्रत्येक माह की 7 वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

संयुक्त निदेशक

6. विभागाध्यक्ष स्तर से अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन साफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 196(p)/XXVII(1)/2013, दिनांक 18 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

निदेशक
15/3/2013

भवदीय,
20/03/13
(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या (1)/XII/2013/82(07)/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव ।